

# Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 230-2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, DECEMBER 30, 2022 (PAUSA 9, 1944 SAKA)

## हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

# अधिसूचना

दिनांक 30 दिसम्बर, 2022

संख्या 8/3/2022—4क II.— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 84 की उप—धारा (1) के साथ पिठत धारा 69 की खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ) की अधिसूचना संख्या का०आ० 86/ह०अ० 24/1973/धा० 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं जो दिनांक प्रथम जनवरी, 2023 से प्रभावी होगा, अर्थात्:—

# संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (सिमितियाँ) अधिसूचना संख्या का०आ० 86 / ह०अ० 24 / 1973 / धा० 69 / 2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 5 में, उप—पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(ख) देरी से भुगतान के मामले में, प्रति मास या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभारित किया जाएगाः

परंतु वर्ष 2010—11 से 2021—22 तक के लिए सम्पत्ति कर के देय तथा बकाया पर पचास प्रतिशत ब्याज की एक मुश्त छूट सभी कर दाताओं को अनुमत होगी, यदि उन द्वारा 31 जनवरी, 2023 तक अपने बकायों का भुगतान कर दिया जाता हैं।"

अरूण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

### HARYANA GOVERNMENT

# URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

### Notification

The 30th December, 2022

**No. 8/3/2022-4CII.**- In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 69 read with Sub-section (1) of Section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013 with effect from the 1st January, 2023 namely:-

### Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013, in para 5, for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely:-

"(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged:

Provided that one time waiver of fifty percent of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2021-22 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto the 31st January, 2023.".

ARUN GUPTA, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department.

10093—C.S.—H.G.P., Pkl.